

आत्मनरिभर भारत 3.0

प्रलमिस के लयि

आत्मनरिभर भारत 3.0

मेन्स के लयि

भारतीय अर्थव्यवस्था को गतदिने के लयि आत्मनरिभर भारत 3.0 की घोषणा

चर्चा में क्यौं?

12 नवंबर, 2020 केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए **आत्मनरिभर भारत 3.0** (AtmaNirbhar Bharat 3.0) के तहत 12 नए उपायों की घोषणा की, जो मौजूदा COVID-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गतदिने के लयि 2.65 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के रूप में हैं।

प्रमुख बडि:

- **भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति:**
 - वर्ष-दर-वर्ष की तरह अक्टूबर 2020 में ऊर्जा खपत में 12% की वृद्धि हुई है।
 - बैंक ऋण की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत है और शेयर बाजार रिकॉर्ड उँचाई पर है।
 - RBI ने तीसरी तमिही में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक वृद्धि पर लौटने की संभावना का अनुमान लगाया।
 - मूडीज द्वारा वर्ष 2021 के लयि भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित कर 8.1% से 8.6% कर दिया गया है।
- **आत्मनरिभर भारत 1.0** (Aatmanirbhar Bharat 1.0) के बारे में बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को 1 सितंबर, 2020 से राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत लाया गया है।
 - स्ट्रीट वेंडर्स के लयि **पीएम सबनधि** (PM SVANIDI) योजना के तहत 26.2 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ऋण प्रोत्साहन दिया गया है और 1.4 लाख करोड़ रुपए किसानों को वितरित किये गए हैं। अलग से 1700 करोड़ रुपए की लागत वाली **प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना** (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) के लयि 21 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
- **‘इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम’** (Emergency Credit Liquidity Guarantee Scheme) के तहत 61 लाख उधारकर्त्ताओं के लयि 2.05 लाख करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, जसिमें से 1.52 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया गया है।
 - 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के डेस्कॉम के लयि 1.18 लाख करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।

‘आत्मनरिभर भारत 3.0’ के तहत 12 नई घोषणाएँ:

1. **‘आत्मनरिभर भारत रोजगार योजना’ (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana):**
 - a. यह योजना नई नौकरियों के सृजन के लयि प्रोत्साहित करेगी।
 - b. EPFO-पंजीकृत संगठनों द्वारा नयिकृत नए कर्मचारियों को COVID-19 महामारी के दौरान लाभ मलैगा।
 - c. ‘आत्मनरिभर भारत रोजगार योजना’ 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।
 - d. EPFO-पंजीकृत संगठन, यदनि ए कर्मचारियों की भरती करते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं वे कर्मचारी कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। यदनि 1 अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक नए कर्मचारियों की भरती की जाती है, तो अगले दो वर्षों के लयि प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा।
2. MSMEs, व्यवसायों, MUDRA उधारकर्त्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लयि ऋण) के लयि **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना** (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है। कामथ समिति द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ऋण और 500 करोड़ रुपए तक के दायरे में आने वाले 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के नकियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
3. 10 क्षेत्रों को 1.46 लाख करोड़ रुपए की **‘उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive- PLI) योजना’** प्रदान की जा

- रही है। इससे घरेलू वननिर्माण की प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगले पाँच वर्षों के लिये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि को इन क्षेत्रों के लिये आवंटित किया गया है।
4. वित्त मंत्री ने **पीएम आवास योजना (शहरी)** के लिये 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परवियय की घोषणा की जिसके तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा और 18 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा होंगी और इस्पात व सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री में सुधार होगा।
 5. निर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुबंधों पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5-10% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इससे बडि टेंडरों (Bid Tenders) के लिये बयाना राशि (Earnest Money Deposit-EMD) की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बडि सिक्योरिटी डक्लिरेेशन (Bid Security Declaration) द्वारा प्रतस्थिति किया जाएगा। यह छूट 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।
 6. भारत सरकार ने डेवलपर्स एवं घर खरीदारों के लिये 2 करोड़ रुपए तक की कर राहत की घोषणा की। आवासीय इकाइयों की प्राथमिक बिक्री के लिये 2 करोड़ रुपए तक के दायरे में 12 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक सर्कल रेट और रयिल एस्टेट इनकम टैक्स में एग्रीमेंट वैल्यू के बीच अंतर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।
 7. भारत सरकार **राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष** (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF) में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगी, जो बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये वर्ष 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने में NIIF की मदद करेगा।
 8. किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सबसिडी प्रदान की जाएगी।
 9. आगामी वित्त वर्ष 2021 में **पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना** (PM Garib Kalyan Rozgar Yojana) के लिये 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परवियय की व्यवस्था की जाएगी।
 10. वित्त मंत्री द्वारा 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त घोषणा की गई जिसे **भारतीय विकास सहायता योजना** (Indian Development Assistance Scheme- IDEAS Scheme) के माध्यम से रियायत परियोजनाओं के लिये एकजमि बैंक को जारी किया जाएगा।
 - a. **भारतीय विकास सहायता योजना** (IDEAS), परियोजनाओं के लिये रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है और प्राप्तकर्त्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे के विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देती है।
 11. रक्षा उपकरणों, औद्योगिक बुनियादी ढाँचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी एवं औद्योगिक व्यय के लिये 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन दिया जाएगा।
 12. वित्त मंत्री ने COVID-19 के टीका विकास के लिये 900 करोड़ रुपए के R&D अनुदान की घोषणा की। इसमें वैक्सीन वितरण के लिये वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है।

नभिकरषः

- इस प्रकार 'आत्मनिर्भर भारत 3.0' में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च 2.65 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के लिये प्रोत्साहन उपायों पर किया जाने वाला कुल खर्च लगभग 17.16 लाख करोड़ रुपए है, जबकि भारत सरकार एवं RBI द्वारा कुल प्रोत्साहन राशि 29.87 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत की जीडीपी का 15% है।
- गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ये घोषणाएँ कैबिनेट द्वारा एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटकों के निर्माण सहित 10 क्षेत्रों के लिये **उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन** [Production-Linked Incentive (PLI)] योजना को मंजूरी देने के एक दिन बाद की गई हैं। इन 10 क्षेत्रों हेतु PLI योजना पाँच वर्षों के लिये क्रियान्वित होगी, जिसका कुल अनुमानित परवियय 1.46 लाख करोड़ रुपए होगा।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस